राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4007/2024

श्याम राम —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, डीडवाना–कुचामन।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति कुचामन, जिला डीडवाना–कुचामन।
5. विमला, प्रबोधक लेवल–1, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Gusaiyon की ढाणी, ब्लॉक कुचामन, जिला डीडवाना।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.12.2024
आदेश की दिनांक : 20.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रबोधक लेवल–1 के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जीजीयूपीएस अराकसर, ब्लॉक कुचामन, जिला डीडवाना–कुचामन में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सेडाना नाडा हुडिया, ब्लॉक मकराना में लगभग 90 कि.मी. दूर स्थानान्तरित कर दिया गया, जबकि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नेतोलाई अराकसर, कुचामन सिटी, नागौर में प्रबोधक लेवल–1 का पद रिक्त है, जो अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान से नजदीक है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.09.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अतिरिक्त शिक्षकों/कर्मचारियों के संविलियन के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए। अपीलार्थी प्रबोधक लेवल–1 के पद पर कार्यरत था लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने अनुलग्नक–1 द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

गुसाईयों की ढाणी में अधिशेष घोषित कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नेतोलाई अरकसर, ब्लॉक कुचामन सिटी, नागौर में समायोजित किया गया, जबकि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नेतोलाई अरकसर निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 के बजाय अपीलार्थी के वर्तमान नियुक्ति स्थान के नजदीक है। प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने परिपत्र दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–3) द्वारा दिनांक 04.01.2023 एवं 15.01.2023 के आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद कुछ विभाग विभाग स्तर पर स्थानान्तरण/पदस्थापन कर रहें है, जबकि परिपत्र दिनांक 20.01.2023 द्वारा विशेष रूप से एपीओ और इच्छानुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन के आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी का स्थानान्तरण मध्य सत्र में किया गया है, जिसके कारण अपीलार्थी के बच्चों की पढाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अपीलार्थी की पत्नी रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित है और मां वृद्धावस्था में है तथा टीबी से भी पीड़ित है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 10.12.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत में पद रिक्त है इसलिए मर्ज के दिशा–निर्देशों के आलोक में उसे उसी ग्राम पंचायत में समायोजित किया जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 08.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करने दिया जावे या अनुलग्नक–2 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उसे समायोजित करें।

हमने अपीलार्थी की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 08.12.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जीजीयूपीएस अराकसर, ब्लॉक कुचामन, जिला डीडवाना–कुचामन से राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सेडाना नाडा हुडिया, ब्लॉक मकराना में कर दिया गया। विभागीय निर्देशों के अनुसार अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन यथा संभव उसी ब्लॉक में पदस्थापित करने के निर्देश है परन्तु अपीलार्थी को पद रिक्त होने के बावजूद अन्य ब्लॉक में पदस्थापित किया है। अपीलार्थी की पत्नी रीढ़ की हड्डी की बीमारी से पीड़ित है और मां वृद्धावस्था में है तथा टीबी से भी पीड़ित है। अतः उपर्युक्त मामलें की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी एक सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा

प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अभ्यावेदन को किसी विशिष्ठ ढंग/रिती से निस्तारित करने का निर्देश नहीं दे रहा है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 08.12.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य